जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता
27 FEB 2013
किशनगंज

Re. put up
13-2/13

बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या-13 सू. को. (यो.) 175/12 6287 /कृ., पटना, दिनांक 27-11-2012

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार वर्मा,
निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव।

IT Manager
Pl. Comply.

FAX सेवा में,

सभी जिला कृषि पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार।

विषय :– कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों को दिये गये लाभ की जानकारी Website पर Upload करने के संबंध में।

निदेशानुसार कहना है कि RTI के तहत कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभुकों को दिये गये लाभ व अनुदान की जानकारी मांगी जाती रही है। ये योजनाएँ मुख्य रूप से जिला कृषि पदाधिकारी अथवा प्रखण्डों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के द्वारा संपादित किये जाते हैं।

चूँकि इन योजनाओं में लाभुकों की काफी बड़ी संख्या होती है, अतः इन मांगी गयी सूचनाओं को आवेदकों को RTI के तहत बहुधा ससमय उपलब्ध नहीं कराया जाता है, फलतः इन योजनाओं से संबंधित लोक सूचना पदाधिकारियों को अधिनियम के अन्तर्गत काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

RTI अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (a) में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक लोक पदाधिकारी की ये बाध्यता है कि –

(a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected throug a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated;

उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग की योजनाओं के लिये जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित है तथा उनके अपीलीय प्राधिकार के रूप में क्रमशः संयुक्त कृषि निदेशक एवं अनुमंडल पदाधिकारी नामित हैं।

अतः अधिनियम के उक्त प्रावधान के आलोक में निदेश दिया जाता है कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कृषि विभाग से संबंधित सभी योजनाओं के लाभुकों व उन्हें भुगतान की गयी सभी अनुदानों की पूर्ण सूची, लाभुकों का नाम/पिता का नाम, पूर्ण पता इत्यादि के साथ तैयार करे तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 से

अद्यतन 2010–11 तक वर्ष वार CD तैयार कर दो माह के अन्दर उसकी एक प्रति निदेशालय में कृषि निदेशक को भेज दें तथा एक प्रति स्वयं रखें, ताकि आवश्यकतानुसार इसकी कॉपी तैयार कर आवेदक को उपलब्ध कराया जा सके।

सभी जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी सूचना सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी दे देगें। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 से ऐसी सभी सूचनायें प्रपत्र में तैयार कर एक माह के अन्दर उसका Soft Copy विभाग के I.T. Manager को Mail कर दें या अन्य साधनों से भेज दें ताकि उसे विभाग के वेबसाईट पर लोड किया जा सके।

विभाग का Website का Address निम्न है :–

www.krishi.bih.nic.in

कृपया उपर्युक्त निदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक................................/जि0 कृ0 किशनगंज दिनांक................................/

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला किशनगंज/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला किशनगंज/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
जिला कृषि पदाधिकारी
किशनगंज।

ज्ञापांक................................/जि0 कृ0 किशनगंज दिनांक................................/

प्रतिलिपि :– संयुक्त कृषि निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
जिला कृषि पदाधिकारी
किशनगंज।

ज्ञापांक................................/जि0 कृ0 किशनगंज दिनांक................................/

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज किशनगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
जिला कृषि पदाधिकारी
किशनगंज।

ज्ञापांक.....224...../जि0 कृ0 किशनगंज दिनांक.....25/02/2013...../

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सादर सूचनार्थ समर्पित।

25.2.2013
जिला कृषि पदाधिकारी
किशनगंज।

ज्ञापांक 154 जि0कृ0 दिनांक 02/03/13

प्रतिलिपि :– [illegible] को सूचनार्थ एवं निदेशानुसार अनुरोध है कि प्राप्त पत्र को website पर Upload करने की कृपा की जाए।

2/3/13